P.G Sem II
Session-18-20

Kumari Manju
H.O.D.
Economics.

TOPIC

विदेशी विनिमय प्रबन्धन अधिनियम, 1999
FOREIGN EXCHANGE MANAGEMENT ACT (FEMA) :

भारत सरकार द्वारा 4 अगस्त 1998 संसद में विदेशी विनिमय प्रबन्धन बिल पेश किया गया इस अधिनियम को 1999 में संसद की स्वीकृति मिल गई। यह अधिनियम बन गया। इस अधिनियम का उद्देश्य विदेशी विनिमय पर नियंत्रण न रखना बल्कि इसका ~~नियंत्रण करना~~ प्रबन्धन करना है।

FEMA के उद्देश्य : (1) इस प्रबन्धन का उद्देश्य यह है कि विदेशी व्यापार से संबंधित भुगतानों में कोई रुकावट या कठिनाई न आ पाए। (2) धारा 3 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, अधिनियम के तरीकों के अलावा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति से विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूतियों ~~के~~ का आदान प्रदान नहीं कर सकता।
(3) धारा 4 के अनुसार, अधिनियम में लिखित तरीकों के अलावा, कोई भी भारतीय किसी भी अन्य देश में विदेशी विनिमय के आदान-प्रदान से जुड़ा नहीं रह सकता है। विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूतियाँ नहीं रख सकता।
(4) इस अधिनियम के आधार पर विदेशी विनिमय या विदेशी अचल सम्पत्ति खरीद सकता या उसका अंतरण नहीं कर सकता और न ही विदेशों में ...
(5) इस अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।
(6) इस अधिनियम में केन्द्र सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह अधिनियम के जाँच के लिए न्याय समिति बनाए।
(7) FEMA में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति के लेन-देन करने की अनुमति दी गई है इसके अन्तर्गत वैसे व्यक्ति आते हैं जो अधिकृत डीलर हों, मनीचेंजर, विदेशी बैंकिंग यूनिट या वैसे व्यक्ति जो रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

FEMA के मुद्दे : (1) चालू खाता और पूँजी खाता लेन-देन (Current Account and Capital Account Transaction) : चालू खाते और पूँजी खाते पर लेन-देन धारा 5 तथा 6 पर आधारित हो। धारा 5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकृत व्यक्ति से विदेशी विनिमय चालू खाते पर लेन-देन कर सकता है, परन्तु केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह रिजर्व बैंक की सलाह से जिसे अनिवार्य समझे अंकुश लगा सकती है। धारा 6 की उपधारा 2 की सीमाओं के अन्तर्गत, पूँजी खाते पर विदेशी विनिमय का लेन-देन कर सकता है। उपधारा 2 के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार की सलाह पर लेन-देन में अधिकतम विदेशी विनिमय की सीमा निर्धारित कर सकता है।

(2) विदेशी मुद्रा की प्राप्ति व उसकी देश में वापसी : धारा 8 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि किसी भारतीय को किसी भी स्रोत से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तो उसे रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय पर भारत में उस ~~विदेशी~~ विदेशी मुद्रा को लाना जा सकता है। इस धारा से छूट भी दी जा सकती है जो धारा 9 में व्यक्त किया गया है जो निम्न है - (i) रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा का स्टॉक (ii) 8 जुलाई 1947 से पूर्व प्राप्त विदेशी मुद्रा या उस मुद्रा से होने वाली आय, (iii) इस प्रकार की विदेशी मुद्रा या उस मुद्रा या उस मुद्रा से होने वाली आय, (iv) नौकरी, कामकाज, व्यापार, सेवा या किसी अन्य भारतीय के उपहार या उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा का स्टॉक, (v) ऐसी आय जो विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्तियाँ जिसकी अनुमति रिजर्व बैंक देता है।

(3) अधिनियम का उल्लंघन व जुर्माना : धारा 13 में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसे उल्लंघन की सीमा से तीगुना जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उल्लंघन का मूल्यांकन यदि यह संभव नहीं होता है तो दो लाख रुपये तक हो सकती है। यदि व्यक्ति द्वारा उल्लंघन ... पर जुर्माना की राशि तीन लाख रुपये तक हो सकती है। यदि व्यक्ति द्वारा उल्लंघन जारी रहता है तो निर्धारित दिन के बाद प्रति दिन पाँच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाता है। धारा 14 के अनुसार यदि व्यक्ति 90 दिनों तक जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है।

(4) न्याय निर्णय और अपील : धारा 16 इस बात का जिक्र है कि अभियुक्त व्यक्ति को अपनी सफाई देने का उचित मौका देने के बाद, केन्द्रीय ...

सरकार जाँच पड़ताल करने के लिए न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है। धारा 17 में इस बात को बताया गया है कि इन अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई के लिए सरकार एक या अधिक विशेष डायरेक्टर, अपील की नियुक्ति कर सकती है। इसके अतिरिक्त धारा 18 में अपील सुनवाई के लिए एक Appellate Tribunal नियुक्ति करने की भी व्यवस्था की गई है जो Adjudicating Authorities के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा।

(5) विविध मुद्दे (Miscellaneous): धारा 40 की उपधारा (One) में केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह जनहित में और अधिसूचना जारी करके अधिनियम की किसी धाराओं को suspend कर सकती है या छूट दे सकती है। उप-धारा 3 के अनुसार, इस प्रकार की अधिसूचना को संसद में पेश करना अनिवार्य है। धारा 41 में केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह रिज़र्व बैंक को विशिष्ट या सामान्य निर्देश दे सकती है। धारा 42 में इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई कम्पनी FEMA का उल्लंघन करती है तो उस कम्पनी को चलाने वाला व्यक्ति उल्लंघन के लिए जिम्मेदार माना जायेगा। FEMA को क्रियान्वित करने के लिए धारा 46 केन्द्रीय सरकार को तथा धारा 47 रिज़र्व बैंक को आवश्यक नियम व निर्देश बनाने का अधिकार देती है। सबसे महत्त्वपूर्ण धारा 49 है जिसने विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (FERA), 1973 को समाप्त करके व्यवस्था की है। इस धारा उपधारा 3 के अनुसार, FEMA लागू होने के दो वर्ष बाद कोई भी न्यायालय निरस्त अधिनियम के अधीन किए गए किसी भी अतिक्रमण पर विचार नहीं करेगा और न ही कोई न्यायिक अधिकारी इन पर ध्यान देगा। उप-धारा 4 के अनुसार, उपधारा 3 में आये शब्दों को छोड़कर, निरस्त अधिनियम अधीन किए गए अतिक्रमणों पर विचार करने के लिए यह माना जायेगा कि यह अधिनियम निरस्त नहीं किया गया है और उसी के अनुरूप निर्णय लिए जायेंगे।